कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

फोन नं.-07723-223305, फैक्स नं.-07723-223302, E-mail: msamund.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक/681/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुंद, दिनांक 28/07/2020

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/660/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 22.07.2020 द्वारा महासमुन्द जिले के तीन नगरीय निकाय क्षेत्रों **(महासमुन्द नगर पालिका, बागबाहरा नगर पालिका, बसना नगर पंचायत)** के सीमा को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए, उसी आदेश में उन तीनों नगरीय निकाय क्षेत्रों के सीमा अंतर्गत दिनांक 25.07.2020 (12:01 AM) से दिनांक 31.07.2020 (11:59 PM) तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन), कुछ छूट एवं शर्तों के साथ लागू की गई थी।

02) महासमुन्द जिले में पिछले छह दिवसों के दौरान कोरोना पॉजिटीव मरीजों की संख्या में वृद्धि यथावत बनी हुई है और इस दौरान 20 नये पॉजिटीव केस पाए गये हैं। दिनांक 28.07.2020 के रात्रि 09:30 बजे तक की स्थिति में, जिले में कुल 121 कोरोना पॉजिटीव मरीजों की पहचान की जा चुकी है। कोरोना पॉजिटीव व्यक्तियों के कांटेक्ट ट्रेसिंग से जिले के उक्त तीन नगरीय निकायों के अतिरिक्त अन्य नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण होना अथवा फैलाव का केन्द्र बनना परिलक्षित हुआ है। स्पष्ट है कि जिले में कोरोना पॉजिटीव प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संभावित उपाय अमल में लाना उचित एवं आवश्यक हो गया है।

03) अतः उपरोक्त उल्लेखित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, जनमानस की कोविड संक्रमण से सुरक्षा हेतु, इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी मूल आदेश क्रमांक/660/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द, दिनांक 22.07.2020, को

- ✓ जिले के समस्त 06 नगरीय निकाय क्षेत्रों में **(महासमुन्द नगर पालिका, बागबाहरा नगर पालिका, बसना नगर पंचायत, तुमगांव नगर पंचायत, पिथौरा नगर पंचायत, सरायपाली नगर पालिका)** अब लागू करते हुए एवं ऐसे लागू आदेश की कंडिकाएं "अ", "ब" और "स" द्वारा लगाई गई रोक/सशर्त छूट की समय-सीमा में वृद्धि, दिनांक 06.08.2020 (11:59 PM) तक करते हुए,
- ✓ **महासमुन्द** नगर पालिका, **बागबाहरा** नगर पालिका एवं **बसना** नगर पंचायत में तत्काल प्रभाव से रोक/सशर्त छूट बढ़ाई जाती है,
- ✓ तथा **तुमगांव** नगर पंचायत, **पिथौरा** नगर पंचायत एवं **सरायपाली** नगर पालिका में, दिनांक 30.07.2020 (12:01 AM) से रोक/सशर्त छूट प्रभावशील की जाती है।

Khoel 28.07.2020

मूल आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

04) फेस मॉस्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर, खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान को चिल्हर/थोक में विक्रय करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को, दिनांक 30 एवं 31 जुलाई 2020 (02 दिवस) हेतु विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन संबंधी गतिविधियां करने की अनुमति **प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 11:30 बजे तक** दी जाती है। किराने की दुकानों के माध्यम से राखी, सेवईं एवं त्यौहार में उपयोग आने वाले अन्य सामाग्री का विक्रय किया जा सकता है। इस कंडिका की विशेष छूट केवल उल्लेखित दो तिथियों के लिए एवं निर्धारित समयावधि वास्ते ही होगी।

05) इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/660/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द, दिनांक 22.07.2020, की कंडिका **"ब"** में वर्णित कार्यालय/प्रतिष्ठान को प्रतिबंध में शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है, कंडिका **"ब"** में वर्णित सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

i. क्रमांक 3 "भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय" को विलोपित किया जाता है।

ii. क्रमांक 21 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-
"खाद्य, मिठाई/मिष्ठान पदार्थ, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति"

Scanned by CamScanner

iii. कंडिका ''ब'' में वर्णित सूची में वृद्धि करते हुए बढ़ते हुए क्रम में निम्न सेवाओं में भी शर्तों के अधीन प्रतिबंध में छूट प्रदान की जाती है :–

''पेट्स शॉप/एक्यूरियम (Pets Shop & Aquarium) विक्रेता के प्रतिष्ठानं, वहां निवासरत जानवर एवं पक्षियों को भोजन (चारे/दाने/पानी) व्यवस्था हेतु प्रातः 09:00 से प्रातः 09:30 बजे तक एवं सायं 05:00 से 05:30 बजे तक, प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।''

iv. इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/660/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 22.07.2020 की कंडिका ''स'' में वर्णित शासकीय/अशासकीय बैंकों को दोपहर 03:00 बजे तक कार्यालय खोलने की अनुमति रहेगी। कंडिका ''स'' की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

06) कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण में रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक/660/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द, दिनांक 22.07.2020, के आदेश के अनुक्रम में इस आदेश को जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Kbwel
28-07-2020

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/**681**/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुंद, दिनांक **28**/07/2020

प्रतिलिपि :–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
04. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
05. आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ।
06. पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
07. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द को सूचनार्थ। सभी जनपद पंचायत एवं सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चस्पा कराई जावे।
09. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, महासमुन्द/बागबाहरा/पिथौरा/सरायपाली,
12. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द,
13. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला महासमुन्द,
14. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला महासमुन्द, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चस्पा कराई जावे।
15. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, महासमुन्द को आदेश की एक प्रति जिले की वेबसाईट में अपलोड किये जाने बाबत्।
16. सहायक संचालक, जनसम्पर्क महासमुन्द को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ तथा अपने शासकीय स्तर से, शोसल मिडिया के माध्यम से प्रसारित किये जाने हेतु अग्रेषित।

Kbwel

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

Scanned by CamScanner